संख्या- 135 /2024 / 599 /चार-2024

प्रेषक,

रघुनाथ प्रसाद वर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 14 मार्च, 2024

विषय:- जनपद चित्रकूट स्थित रामलीला स्थल रामायण मेला परिसर के सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन का कार्य कराये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-4347/सं0नि0-6(52)/2023-24 दिनांक 12 फरवरी, 2024 एवं पत्र संख्या-4185/सं0नि0-6(52)/2023-24 दिनांक 01 फरवरी, 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उक्त संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद चित्रकूट स्थित रामलीला स्थल रामायण मेला परिसर के सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नामित कार्यदायी संस्था कन्स्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज, उ0प्र0 जल निगम द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन/प्रस्ताव पर अप्रेजल कमेटी की दिनांक 02.02.2024 को सम्पन्न बैठक में हुई संस्तुति के क्रम में जनपद चित्रकूट स्थित रामलीला स्थल रामायण मेला परिसर के सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन का कार्य कराये जाने हेतु रू0 148.17 लाख (रू0 एक करोड़ अड़तालीस लाख सत्रह हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में रू0 9.84 लाख (रू0 नौ लाख चौरासी हजार मात्र) की धनराशि निर्गत करने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(2) संस्कृति निदेशालय द्वारा कोषागार से धनराशि आहरित कर कार्यदायी संस्था – कन्स्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज, उ0प्र0 जल निगम को उपलब्ध करायी जायेगी।
(3) संस्कृति निदेशालय द्वारा समस्त औपचारिकतायें एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
(4) संस्कृति निदेशालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(5) प्रश्नगत स्वीकृति संस्कृति निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा।

(6) प्रश्नगत निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्वक कराया जायेगा। कार्य की विशिष्टियॉ, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी संस्कृति निदेशालय/ कार्यदायी संस्था की होगी तथा संस्कृति निदेशालय/ कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समयावधि में ही पूर्ण हो जाय।

(7) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण / उपयोग नियमानुसार किया जायेगा। धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी।

(8) कार्यदायी संस्था द्वारा परियोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण किया जायेगा।

(9) उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र संस्कृति निदेशालय तथा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(10) कार्यदायी संस्था से कार्य पूर्ण होने के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे।

3. उपर्युक्त स्वीकृति से संबंधित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या- 92- आयोजनेत्तर पक्ष के अन्तर्गत लेखाशीर्षक ''4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय -04-कला तथा संस्कृति-800-अन्य व्यय -41- सार्वजनिक रामलीला स्थलों में चाहरदीवारी का निर्माण -24 वृहत् निर्माण कार्य'' मद के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव

संख्या - 135 /2024 / 599 (1) /चार-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय , उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- जिलाधिकारी, हरदोई।
5- मुख्य महाप्रबंधक (प्रथम), सी0 एंड डी0 एस0, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
6- परियोजना प्रबंधक, यूनिट-48, सी0 एंड डी0 एस0, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), महोबा।
7- वित्त (लेखा) अनुभाग-7/ वित्त (ई-7) अनुभाग-1 उ0प्र0 शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in